(e) if so, the details of such drugs and efforts made or being made by Govemment to make available the life saving drugs at cheaper rates?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) The Pharmaceutical Industry produces wide range of drugs and formulations in the country. The policy in regard to pricing aspects of drugs and formulations is a part of the Drug policy, 1986, which was modified in September, 1994 after having discussions at various levels including both the Houses of Parliament. This was followed by promulgation of Drugs (Prices Control) Order, 1995 on 6.1.95 and the drugs in whose cases prices are determined by the Govemment are in its First Schedule. The selection of these drugs is in accordance with the criteria laid down in the Modifications announced by the Government viz. drugs having a minimum annual turnover of Rs. 400 lakhs and having no competition and drugs having turnover less than Rs. 400 lakhs but more than Rs. 100 lakhs and having monopoly situation have been kept under price control.

(d) and (e) Most of commonly used anti-tuberculosis drugs were under price control during the contraversey of the Drugs (Prices Control) Order, 1987 and accordingly the prices for the commonly used anti-TB drugs were being regulated by the Govemment under the provisions of DPCO 87. Under DPCO '95 some of the drugs, viz. Ethambutol, Isoniazid, Sodium PAS, Thiacetazone etc. do not fall under price control as per criteria laid down. However Govemment is keeping a close watch on the prices of the formulations based on these drugs. If situation so warrants, Govemment would not hesitate to bring back these drugs under price control in public interest.

यूरिया खाद के प्रयोग से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव

29. **श्री रामजीलाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरिया खाद्य के प्रयोग से कृषि योग्य जमीन खराब हो जाती हैं

(ख) यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं,

(ग)क्या सरकार इसके स्थापन्न का पता लगा लिया है, जिसका प्रयोग किसानों द्वारा किया जा सके और जो खर्चीला भी न हो, ओर

(घ)यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है यूरिया का प्रयोग से कृषि योग्य भूमि को नुकसान होता है । मूल्य एवं संचलन नियंत्रणाधीन यूरिया का कोई विकल्प नहीं हैं और इस प्रकार यह नाइट्रोजन का सस्ते से सस्ता स्रो त हैं । दूसरे रासायनिक उर्वरकों जैसे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेज , अमेनियम , क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग नाइट्रोजन के पूरकों के रूप में किया जाता हैं । इसके अलावा, सरकार एकीकृत पोषक आपूर्ति के लिए जैव खाद , कम्पोस्ट हरी खाद तथा जैव उर्वरकों जैसे पोषकों के अन्य सस्ते स्रोत के प्रयोग कोभी बढ़ावा दे रही हैं ।

उर्वरकों की कीमतों में संशोधन

30.**श्री ईश दत्त यादव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की कीमतों में संशोधन करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया है, यदि हां तो उसके क्या कारण है,

(ख)क्या सरकार उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने अथवा कम करने जा रही है यदि नहीं तो उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि करने का क्या औचित्य है, और

(ग)यदि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होती हैं तो संशोधित कीमत क्या होगी तथा होगी छोटे और मझौले किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रसायन और उर्वरको मंत्रालय के राज्म मंत्री (श्री शीशा राम ओला) : जी, हां संविधिक मूल्य नियंत्रणा – धीन यूरिया के मूल्य में 21.2.1997 से 10% वृद्धि की गई है । फास्फेटिक , पोटशिक तथा कम विश्लेषित नाइट्रोयनजनयुक्त उर्वरकों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं हैं ।

(ख) फास्फेटिक तथा पोटशिक उर्वरकों पर रियायत की दरों में भी 1.4.1997 से उपयुक्त वृद्धि की जा रही हैं ।दोनों उपाय एनपी के पोषकों के उपयोग में असन्तुलन को कम करने की दृष्टि से किये गये हैं ।

(ग) यूरिया का संशेधित मूल्य दिनांक 21.2.1997 से 3660/ - रूपये प्रति टन है । यह छोटे तथा सीमान्त कृषकों सहित सभी श्रेणी के कृषकों के लिए लागू होगा ।